# –: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 198/2023

उनवान

1. रामकरण,
2. नानूसिंह,
3. हरचन्द रावत पुत्र पांचू,
4. सुवा,
5. घन्नी पुत्री पांचु,
6. लक्ष्मी उर्फ गौरी पुत्री पांचू
7. फुली पत्नि अमरचन्द,
8. दिनेश रावत पुत्र अमरचन्द,
9. गणेश सिंह रावत पुत्र अमरचन्द,
10. ज्ञाना पुत्री अमरचन्द,
11. कानी पुत्री अमरचन्द,
12. मैना पुत्री अमरचन्द,
13. पार्वती पुत्री अमरचन्द,
14. पिंकी पुत्री अमरचन्द, समस्त जाति रावत निवासी हाथीपटटा श्रीनगर तहसील नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र कल्याण जाति जांगिड निवासी हाथीपटटा तहसील नसीराबाद,
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नसीराबाद,
3. उप पंजीयक अजमेर

—— प्रतिवादीगण :– 2 व 3 जरियें राज. पैरोकार, 1 अनुपस्थित

4. बीरमा पुत्र पांचू जाति रावत हाथी पटटा श्रीनगर तहसील नसीराबाद

—— प्रफोर्मा प्रतिवादी :– 4 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

---

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

---

–: निर्णय :– दिनांक :– 24.10.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार हल्का हाथीपट्टा की निम्न आराजी वादीगण की खातेदारी/काश्तकारी की है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

| वंर्किग खसरा नम्बर | रकबा | हाल [illegible] नम्बर | रकबा |
|---|---|---|---|
| 902 | 0.14 | [illegible]08 | 0.14 |
| 902 मिन | 0.11 | 1109/[illegible] | 0.11 |
| 904 | 0.26 | [illegible] | 0.26 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उपरोक्त आराजी वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादी के पिता, दादा व ससुर पांचू पुत्र नाथा ने मांगीलाल, रामकरण, रामनाथ व रामगोपाल पि. कल्याणमल से दिनांक 11.10.1973 को कय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। प्रतिवादी संख्या 1 के अतिरिक्त शेष खातेदार की भूमि वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गयी है। उक्त आराजी का नामान्तकरण भरते समय त्रुटिवश प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा दर्ज नही किया गया। अतः आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादी के नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 4 व राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी। अधिवक्ता वादीगण ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम हाथीपट्टा के वंर्किग खसरा नम्बर 902 रकबा 1–13–10 व 904 रकबा 1–15–0 कीं आराजी वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादी के पूर्वज पांचू पुत्र नाथा ने जरियें पंजीबद्व विकय पत्र दिनांक 11.10.1973 को तत्कालीन खातेदार मांगीलाल, रामकरण, रामनाथ, रामगोपाल पि. कल्याणमल से कय की थी। वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 151 में भी उक्त आराजी विकेतागण के नाम खातेदारी दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 100 दिननांक 6.8.85 से उक्त आराजी केता पांचू पुत्र नाथा के नाम दर्ज की गयी, किन्तु रामगोपाल पुत्र कल्याण का हिस्सा केता/वारिसान के नाम अंकित नही किया गया। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.14, 1110 रकबा 0.26 व 1109/1904 रकबा 0.11 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित है। विकेता के खातेदारी अधिकारों का अवसानन हो गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र पंजीबद्व है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहा है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है। वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादी आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र व राजस्व अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है।

उक्तानुसार ग्राम हाथीपट्टा के हाल खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.14, 1110 रकबा 0.26 व 1109/1904 रकबा 0.11 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

**उनवान**

रामकरण बनाम रामगोपाल

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 198/2023
पेश करने की दिनांक – 06.12.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रमेश रावत मुद्दई सीताराम रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम हाथीपट्टा के हाल खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.14, 1110 रकबा 0.26 व 1109/1904 रकबा 0.11 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

---

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 24 माह 10 सन् 2025 को जारी की गयी।

| मुददई | मुदायला |
|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>मेहनताना वकील<br>फीस कमिश्नर<br>खर्चा गवाहान<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अरजी<br>मेहनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक |
| मिजान | मिजान |

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested